



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-1320-औ०सं०/2017-11(28)ए०एस०/04

दिनांक : 17 मार्च, 2017

## कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा Coronary Stents को National List of Essential Medicines में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप Coronary Stents की दरों को भारत सरकार के Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals, National Pharmaceuticals Pricing Authority, New Delhi ने असाधारण गजट के Part-II, Section-III, Sub Section (ii) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 13.02.2017 द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

अतः कारपोरेशन के आदेश सं०-5830-औ०सं०/2008-11(28)-ए०एस०/04 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के साथ संलग्न Terms & Condition के बिन्दु 2 एवं 2.1 में लागू व्यवस्था में हृदय के उपचार में प्रयुक्त होने वाले Coronary Stents की दरें उ०प्र० पावर कारपोरेशन, सभी डिस्काम एवं केस्को में निम्नवत् तालिका के अनुसार एतद्वारा लागू की जाती है :-

**TABLE**

| Sl. No. | Coronary Stents                                                                                                   | Unit<br>(In Number) | Ceiling Price<br>(In Rs.) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1-      | Bare Metal Stents                                                                                                 | 1                   | 7260                      |
| 2-      | Drug Eluting Stents (DES) including metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable Stents. | 1                   | 29600                     |

उक्त दरों के अतिरिक्त स्थानीय कर (यदि लागू हो) अलग से देय होंगे।

भारत सरकार के उक्त आदेशानुसार Coronary Stents दरें दिनांक 13.02.2017 से प्रभावी एवं मान्य होंगी। कारपोरेशन के आदेश सं०-5830-औ०सं०/2008-11(28)-ए०एस०/04 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

उक्त दरें कारपोरेशन द्वारा हृदय की क्रेडिट चिकित्सा एवं सामान्य चिकित्सा हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों एवं स्वेच्छा से कार्मिकों/पेशनरों द्वारा गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराये गये उपचार में मान्य होगी। Coronary Stents की पुनरीक्षित दरें ऊर्जा क्षेत्र के अन्य निगमों, यथा-उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में भी प्रभावी मानी जायेगी।

**प्रबन्ध निदेशक**

संख्या-1320-औ०सं०/2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः 2/-

Nal

4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), ट्रांसको, शक्ति भवन लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ, विद्युत वितरण निगम लि०, /केस्को, कानपुर।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/ जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, गोमती नगर, लखनऊ।
10. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
12. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (लेखा शाखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/कार्मिक अधिकारी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सलाहकार (चिकित्सा)/महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उत्पादन निगम, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 17. अधिशाली अभियन्ता (वेब) कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ०प्र० 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. प्रबन्धक, मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एक्स/1, सेक्टर-12, नोएडा।
20. प्रबन्धक, डिवार्डन हार्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
21. प्रबन्धक, नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद।
22. प्रबन्धक, हार्ट लाईन कार्डियक केयर सेण्टर, 14/8, एल्लिन रोड, इलाहाबाद।
23. प्रबन्धक, हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका वाराणसी।
24. प्रबन्धक, यशोदा हॉस्पिटल, गाजियाबाद।
25. प्रबन्धक, सरस्वती हार्ट केयर एण्ड रिसर्च सेण्टर (प्रा०) लि०, इलाहाबाद।
26. प्रबन्धक, कैलाश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा।
27. प्रबन्धक, जसवन्त राय स्पेशियल्टी हॉस्पिटल, मवाना रोड, मेरठ।
28. प्रबन्धक, धनवन्तरी हॉस्पिटल, 1, साकेत, मेरठ।
29. प्रबन्धक, मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, 47/G-5, बाउन्ड्री रोड, लाल कुर्ती, मेरठ।
30. प्रबन्धक, बी०के० हार्ट हॉस्पिटल प्राइवेट लि०, प्लॉट नं०-एन०-7/1-आर-12, भिखारीपुर, निवेदा, वाराणसी।
31. प्रबन्धक, क्लेरा स्वेन मिशन हॉस्पिटल, बरेली।
32. प्रबन्धक, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, डब्लू-3 सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद।
33. कट फाइल।

Not Matter  
17.3.17

(नवनीत माथुर)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)